(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 05th May, 2025

NOTIFICATION

No.10-2/2025-U.3(A): Whereas, Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), an Institution deemed to be University, New Delhi had uploaded its application on UGC Portal for starting an off-campus Centre at GIFT Tower 2, (Floor 16 & 17), GIFT City, Gandhinagar, Gujarat as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No. 19-1/2023 (CPP-I/DU) dated 02.01.2025, informed that the application was examined through its Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to IIFT, New Delhi with certain conditions.

3. **And whereas**, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 21.01.2025 to IIFT, New Delhi for fulfilment of following conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at GIFT Tower 2, (Floor 16 & 17), GIFT City, Gandhinagar, Gujarat:

i. The Deemed to be University shall submit a roadmap for the proposed off-campus centre to develop into a multidisciplinary Institution with more than 1000 students.
ii. The deemed to be University shall submit details of minimum of five under-graduate or post-graduate or research or combination thereof with a minimum of fifty teachers, with qualifications as per prescribed norms.
iii. The deemed to be University shall submit details of land and construction of permanent campus in the land identified by the GIFT City Authorities.
iv. The deemed to be University shall submit the details of the faculties along with their educational qualification for the proposed off-campus centre.
v. The Institution deemed to be University shall submit approval letter from the relevant regulatory body(ies)/statutory council(s) before starting professional courses.
vi. The deemed to be University shall develop the library with adequate number of books.

4. **And further whereas**, the Registrar, IIFT, New Delhi, vide his letter dated 20.03.2025 submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI, which was sent to UGC for verification. UGC vide letter No. F. 19-1/2023 (CPP-I/DU)

dated 17.04.2025, informed that the compliance report was accepted by its Standing Committee. The Chairman, UGC approved the report of UGC Standing Committee.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi to start an off-campus Centre at GIFT Tower 2, (Floor 16 & 17), GIFT City, Gandhinagar, Gujarat.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules, Regulations, directions of Central Government, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Institute of Foreign Trade (Institution deemed to be University), New Delhi.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, Ministry of Commerce & Industry, Government of India
2. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
3. The Vice-Chancellor, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi.
4. The Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Gujarat.
5. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
6. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
8. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
9. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No. 23381578

(भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 05 मई, 2025

अधिसूचना

सं.10-2/2025-यू.3(ए): जबकि, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली जो एक सम विश्वविद्यालय संस्थान है, ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार गिफ्ट टॉवर 2, (16वां और 17वां तल), गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने हेतु यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 02.01.2025 के अपने पत्र संख्या 19-1/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच उसकी स्थायी समिति द्वारा की गई। संस्थान की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर समिति ने कुछ शर्तों के साथ आईआईएफटी, नई दिल्ली को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. **और जबकि**, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर गिफ्ट टॉवर 2, (16वां और 17वां तल), गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने हेतु आईआईएफटी, नई दिल्ली को दिनांक 21.01.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

i. सम विश्वविद्यालय प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्र को 1000 से अधिक छात्रों के साथ एक बहु-विषयक संस्था के रूप में विकसित करने हेतु एक रोडमैप प्रस्तुत करेगा।
ii. सम विश्वविद्यालय निर्धारित मानदंडों के अनुसार योग्यता सहित कम से कम पचास शिक्षकों के साथ कम से कम पांच अवर स्नातक या स्नातकोत्तर या अनुसंधान अथवा उनके संयोजन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।
iii. सम विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी प्राधिकरणों द्वारा चिन्हित भूमि पर भूमि और स्थायी परिसर के निर्माण का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।
iv. सम विश्वविद्यालय प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्र के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ संकायों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।
v. सम विश्वविद्यालय संस्थान व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले संबंधित नियामक निकाय/सांविधिक परिषद से अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करेगा।
vi. सम विश्वविद्यालय पर्याप्त संख्या में पुस्तकों के साथ पुस्तकालय विकसित करेगा।

4. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, आईआईएफटी, नई दिल्ली के कुलसचिव ने दिनांक 20.03.2025 के अपने पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की,

पृ.प.

जिसे सत्यापन के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने दिनांक 17.04.2025 के पत्र सं. एफ. 19-1/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को इसकी स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यूजीसी के अध्यक्ष ने यूजीसी स्थायी समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित किया।

5. **अब, इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली को गिफ्ट टॉवर 2, (16वां और 17वां तल), गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने का अनुमोदन देता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं के साथ-साथ समय-समय पर जारी केन्द्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों, विनियमों, निदेशों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का पालन विदेश व्यापार संस्थान (सम विश्वविद्यालय संस्थान), नई दिल्ली द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

पूर्णेंदु किशोर बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रति अग्रेषित :

1. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. कुलपति, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली।
4. सचिव, तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
6. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।
8. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस यूनिट को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
9. गार्ड फाइल / अधिसूचना फाइल।

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन सं. 23381578